न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–1 कानपुर देहात

सत्र परीक्षण संख्या–1209/2020

सरकार बनाम अमित कुमार

मु०अ०सं०–264/2020
धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं०
विकल्प में धारा–302 भा०दं०सं०
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
थाना–अकबरपुर, जिला–कानपुर देहात।

दिनांक 27.09.2021 निस्तारण प्रार्थना पत्र 10क

पुकार करायी गयी। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से कागज सं० –10 क दिनांक 31.03.2021 को प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से इस आशय का अभिकथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वतंत्र साक्षीगण के बयान और मृतका के मृत्युकालीन कथन से साबित है कि मृतका आरती देवी की शादी माह नवम्बर 2018 को अभियुक्त अमित कुमार से हुई थी। मृतका जूनियर हाई स्कूल में अनुदेशक के पद पर नियुक्त थी , जबकि अभियुक्त बेरोजगार था वह कोई कार्य नहीं करता था। अभियुक्त के कोई कार्य न करने से परेशान होकर मृतका आरती देवी ने अपने मायके में दिनांक 02.04.2020 को आत्महत्या कर ली। गवाहों के बयान एवं मृतका के सुसाइट नोट से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त अमितकुमार ने दहेज की मांग कभी नहीं की थी। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 भा०दं०सं० और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1959 का अपराध नहीं बनता है इसलिए अभियुक्त उक्त आरोपों से उन्मोचित किये जाने योग्य है, इसका प्रतिखण्डन विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

मृतका के पिता मुकदमा वादी बाबूराम ने दिनांक 02.04.2020 को अभियुक्त अमित कुमार मृतका के जेठ, ससुर शिववीर सिंह उ्रफ चौबे और उनकी पत्नी के विरूद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है , केवल अभियुक्त अमित कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र आया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री आरती देवी की शादी माह नवम्बर 2018 को यथासम्भव दहेज देकर की थी, जिसमें उसका लगभग पांच लाख रूपया खर्च हुआ था। शादी के लगभग 6 माह तक घरेलू स्थितियां सामान्य रही, किन्तु उसके बाद अभियुक्त और उनके अन्य रिश्तेदार उसकी पुत्री को चार लाख रूपये की मांग करने लगे , जिसका उसकी पुत्री उसे व उसकी घरवालों को

अवगत कराती रही, जब हम लोगों ने यह कहा कि हम लोग उपरोक्त दहेज की मांग पूरी कर पाने में सक्षम नहीं है तो उपरोक्त लोगों ने आरती देवी को दिनांक 7–2–2020 को मारपीट कर स्त्रीधन छीनकर घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए अत्यधिक तनाव में व विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उसकी पुत्री आरती देवी ने दिनांक 02.4.2020 को रात्रि में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन मुकदमा वादी मृतका का पिता बाबूराम, मृतका का भाई देवकीनन्दन, मृतका की बहन कुसमा, पुष्पा देवी ने अपने धारा –161, दं०प्र०सं० के बयानों में किया है। इस घटना का समर्थन स्वतंत्र साक्षी धर्मेन्द्र सिंह, अवनीश, शिवसिंह यादव, रामबाबू रैदास, सिपाही लाल एवं लल्लन बाबू रैदास ने अपने धारा –161, सी०आर०पी०सी० के बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए दहेज के सम्बन्ध में यह बताया है कि अभियुक्त आराम करने वाला आदमी था। वह कुछ करना नहीं चाहता था और यह कहता था कि उसके पास पैसा नहीं है अगर मृतका अपने मायके से पैसा लाकर दे तो वह व्यवसाय करेगा और व्यवसाय करने के लिए मृतका पर दबाव बनाता था जिससे मृतका मानिसक रूप से परेशान रहती थी जहां तक दहेज मांगने का प्रश्न है इस संदर्भ में सबसे अच्छा साक्ष्य मृतका का ही हो सकता है, चूंकि यह मांग अभियुक्त मृतका से ही करते थे। अभियुक्त व्यवसाय के लिए चार लाख रूपये की मांग करता था , क्योंकि आत्हत्या के लगभग तीन माह पूर्व से उसे नींद नहीं आ रही थी और व परेशान थी ऐसी परिस्थितियों में उसके द्वारा अपनी आत्महत्या के सम्बन्ध में अपने सुसाइट नोट में इस बारे में नहीं बताया है किन्तु वह इस सम्बन्ध में अपने पिता एवं बहनों को बताती थी कि उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में मृतका के सुसाइट नोट और उसके उपरोक्त बयान अन्तर्गत धारा –161 सी०आर०पी०सी० के उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा मृतका से दहेज की मांग की जाती थी और न देने के कारण अभियुक्त अमित, आरती देवी को मारता पीटता था और भूखा रखता था। इस प्रकार अभियुक्त उसे दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीड़ित करता था, जिसके कारण मृतका आरती देवी ने दिनांक 02.04.2020 को आत्महत्या की। मृतका की शादी नवम्बर 2018 में अभियुक्त के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। उसने सात साल के अन्दर दिनांक 02.04.2020 को आत्महत्या की है। इसलिए उसकी हत्या अस्वाभाविक हुई है उसकी मृत्यु दहेज मांगने के परिणामस्वरूप हुई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आरोप के स्तर पर केवल विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध संकलित साक्ष्य ही देखा जाता है विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य संकलित किये गये है जिससे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अन्तर्गत धारा –498ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप विचरित करने का पर्याप्त साक्ष्य है अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र बलहीन होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं० –10क निरस्त किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी भा०दं०सं० व विकल्प में धारा–302 भा०दंसं० एवं व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पृथक से विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया , जिससे उसने इंकार किया व अपना विचारण की मांग की। पत्रावली दिनांक 07.10.2021 को अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो। मुकदमा वादी को सम्मन जारी हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०–1 कानपुर देहात।
दिनांक 27.09.2021